

आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2026

क्रमांक / 02 / स्टेनो / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक :- 13/05/2026

मैं फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों, के मध्य उचित रूप से कार्य, वितरण एवं संपादन हेतु पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन आदेश (समस्त मूल एवं संशोधित सहित) को अतिष्ठित करते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 12 एवं 13 (द.प्र.सं. की धारा- 14 (1) एवं 15 (2)) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम के अनुमोदन उपरांत, नर्मदापुरम जिले व तहसील न्यायालयों में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्य के निष्पादन के संबंध में स्थानीय सीमाएँ परिनिश्चित करते हुये निम्नानुसार कार्यविभाजन करता हूँ, जो कि दिनांक 13/05/2026 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्यक्षेत्र	कार्य, जो संबंधित न्यायालय की अधिकारिता में है, न्यायालय द्वारा उनके नाम के स्तम्भ क्र. 3 में वर्णित क्षेत्र के संबंध में किये जावेंगे।
01.	02.	03.	04.
01.	फिरोज अख्तर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम	01. आरक्षी केंद्र कोतवाली नर्मदापुरम, देहात नर्मदापुरम एवं यातायात नर्मदापुरम से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। 02. आबकारी वृत्त नर्मदापुरम "ए" एवं "बी" से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 03. मुख्यालय नर्मदापुरम स्थित सभी आरक्षी (आरक्षी केंद्र बाबई को छोड़कर) केंद्र से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. संपूर्ण जिला नर्मदापुरम में चलित न्यायालय कार्य एवं स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), संक्षिप्त विचारण के प्रकरण से संबंधित कार्य एवं विचारण जिसके लिये किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत नहीं किया गया है। (महिलाओं के विरुद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर) 03. जिला नर्मदापुरम स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों के खारिजी प्रतिवेदन। 04. स्तम्भ क्रमांक 3 में वर्णित आरक्षी केंद्र क्षेत्र से मोटर यान अधिनियम, मुख्यालय नर्मदापुरम क्षेत्र अंतर्गत स्थित

		(प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)।	सभी आरक्षी केंद्र के दुकान एवं संस्थान अधि०, श्रम अधि०, औषधि प्रसाधन अधि०, नगर पालिका अधिनियम, आबकारी अधि०, एन.डी.पी.एस.एक्ट (न्यूनमात्रा), खाद्य सुरक्षा अधि० एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नर्मदापुरम (मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण) के अंतर्गत उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों के संज्ञान एवं विचारण। 05. जिला नर्मदापुरम स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न मेटल हेल्थ एंड केयर एक्ट से संबंधित मामले। 06. जिला नर्मदापुरम स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रकरण/इस्तगासा, जहां वाहन में ओव्हर लोडिंग से संबंधित है। 07. संपूर्ण नर्मदापुरम जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित प्रकरणों से संबंधित धारा-450 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 08. मुख्यालय नर्मदापुरम स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण। 09. मुख्यालय नर्मदापुरम स्थित सभी आरक्षी केंद्र (आरक्षी केंद्र बाबई को छोड़कर) से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)
02.	सुश्री के. शिवानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम	01. महिला आरक्षी केंद्र नर्मदापुरम एवं मुख्यालय नर्मदापुरम स्थित समस्त आरक्षी	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम

	केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध घटित समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 294, 74, 75, 76, 77, 78, 63, 64, 65 (1), 66, 65 (2), 67, 68, 70(1), 70 (2), 71, 81, 84, 85, 80, 79 भारतीय न्याय संहिता, 2023) एवं घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, धारा 144(3) भा.ना.सु.स. के अंतर्गत समस्त पत्रावली एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तथा तहसील माखननगर व डोलरिया से उत्पन्न भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-144, 146, 144-3 के समस्त प्रकार के आवेदन। 02. मुख्यालय नर्मदापुरम अंतर्गत खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 एवं भा.वन अधि. म.प्र. वन उपज अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 03. आरक्षी केंद्र बाबई से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम	जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) एवं खात्मा प्रतिवेदन। 04. मुख्यालय नर्मदापुरम क्षेत्र अंतर्गत स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न खनन अपराध एवं भा.वन अधि.म.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 05. कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित थाने, आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली नर्मदापुरम, देहात नर्मदापुरम, आबकारी वृत्त "ए" एवं "बी", आरक्षी केंद्र यातायात नर्मदापुरम एवं मुख्यालय नर्मदापुरम क्षेत्र (जिसका क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को नहीं दिया गया हो) से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण। 06. आरक्षी केंद्र बाबई से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)। 07. वर्चुअल कोर्ट के समस्त कार्य एवं प्रकरणों की सुनवाई। 08. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महिलाओं के विरुद्ध किये
--	--	--

		अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)	गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के रूप में मुख्यालय नर्मदापुरम के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध घटित समस्त अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य। 09. तहसील डोलरिया व माखननगर के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 10 की धारा 144 (द.प्र.स 1973 के अध्याय 9) के अधीन आने वाले भरण पोषण संबंधी प्रकरणों का निराकरण। 10. मुख्यालय नर्मदापुरम क्षेत्र अंतर्गत स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के प्रकरणों से उद्भूत बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण एवं महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध (जिसका क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को न दिया गया हो) उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरण।
03.	श्रीमती दिव्या मित्तल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम	01. आरक्षी केंद्र माखन नगर क्षेत्र से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। 02. ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण। 03. मुख्यालय नर्मदापुरम से संबंधित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण।	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण(समरी) एवं खात्मा प्रतिवेदन। (महिलाओं के विरुद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर एवं आरक्षी केंद्र माखननगर से उत्पन्न जल (प्रदूषण

			नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण को छोड़कर) 04. कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित थाने से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारंटों से संबंधित प्रकरणों (महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण। 05. ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण। 06. मुख्यालय नर्मदापुरम क्षेत्र से संबंधित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण। 07. मुख्यालय नर्मदापुरम क्षेत्र से संबंधित धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के स्थायी वारंट एवं रिक्त न्यायालयों के स्थायी वारंट से संबंधित प्रकरण।
04.	श्रीमती मधुबाला सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम	01. आरक्षी केंद्र डोलरिया से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण।	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण(समरी) एवं खात्मा प्रतिवेदन। (महिलाओं के विरुद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर एवं आरक्षी केंद्र डोलरिया से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु

			(प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण को छोड़कर) 04. आरक्षी केंद्र देहात, कोतवाली तथा माखननगर क्षेत्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों तथा अन्य आपराधिक प्रकरणों <u>(महिलाओं से संबंधित अपराध को छोड़कर)</u> में धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना। 05. कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित थाने से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों (महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण।
05.	श्री दीपक कनेरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम	01. चौकी जी.आर.पी. नर्मदापुरम से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण। 02. आरक्षी केंद्र कोतवाली नर्मदापुरम से उत्पन्न परिवाद पत्र।	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. कॉलम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण एवं खात्मा प्रतिवेदन। (महिलाओं के विरुद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर एवं चौकी जी.आर.पी. नर्मदापुरम से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं

			वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण को छोड़कर) 04. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र एवं अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण। (महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के प्रकरणों को छोड़कर) 05. आरक्षी केंद्र कोतवाली नर्मदापुरम से उत्पन्न परिवाद पत्र। 06. मुख्यालय नर्मदापुरम क्षेत्र से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के अपील न्यायालय से आने वाले समस्त आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण।
06.	सुश्री श्रीति अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	01. आरक्षी केंद्र क्षेत्र देहात नर्मदापुरम से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पत्र।	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. महिला आरक्षी केंद्र नर्मदापुरम, आरक्षी केंद्र अ0जा0क0, आरक्षी केंद्र जी. आर.पी. एवं आरक्षी केंद्र डोलरिया क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण तथा अन्य आपराधिक प्रकरणों में धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं. प्र.सं.) के कथनों का लेखबद्ध किया जाना। 04. मुख्यालय नर्मदापुरम स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों के महिलाओं से संबंधित अपराधों के संबंध में तथा अन्य आरक्षी केंद्र क्षेत्रों (जिसका क्षेत्राधिकार नर्मदापुरम स्थित, किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं दिया गया है) के धारा 183 भा.ना.सु.

			स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध करना। 05. आरक्षी केंद्र क्षेत्र देहात नर्मदापुरम से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पत्र।
07.	प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायालय बोर्ड नर्मदापुरम सुश्री स्वाति कौशल	किशोर न्यायालय बोर्ड से संबंधित समस्त प्रकरण संपूर्ण जिला नर्मदापुरम।	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. किशोर न्यायालय बोर्ड से संबंधित संपूर्ण जिला नर्मदापुरम के क्षेत्राधिकार के समस्त प्रकरण एवं जांच कार्यवाहियाँ।
तहसील न्यायालय-इटारसी			
08.	श्रीमती आयुषी गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी	01. आरक्षी केन्द्र इटारसी, वन विभाग इटारसी से संबंधित आपराधिक प्रकरण) से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण 02. तहसील इटारसी अंतर्गत खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 एवं भा.वन अधि. म.प्र. वन उपज अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 03. आबकारी वृत्त इटारसी क्षेत्राधिकार के समस्त आपराधिक प्रकरण। 04. तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र के अंतर्गत आने वाले जल (प्रदूषण	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन <u>(महिलाओं के विरुद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)</u> का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य। 03. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 04. तहसील इटारसी अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण। 05. तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न नगर पालिका

		नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)	अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन अधिनियम, एन0डी0पी0एस0 (न्यून मात्रा) एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 06. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र एवं अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण। (महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के प्रकरणों को छोड़कर) 07. तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर) 08. तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र के महिलाओं के प्रति हुए अपराधों से संबंधित प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 के कथन लेखबद्ध किया जाना। 09. तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न ऐसे कार्यों का विचारण जिसके लिये किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत नहीं किया गया है। 10. तहसील इटारसी अंतर्गत खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 एवं भा.वन अधि.म.प्र. वन उपज अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
--	--	--	---

09.	श्रीमती प्राची कौरव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी	01. आरक्षी केंद्र केसला, रामपुर गुरा, पथरोटा से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। 02. इटारसी तहसील के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध घटित समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 294, 74, 75, 76, 77, 78, 63, 64, 65 (1), 66, 65 (2), 67, 68, 70(1), 70 (2), 71, 81, 84, 85, 80, 79 भारतीय न्याय संहिता, 2023) , घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-144, 146, 144-3 के समस्त प्रकार के आवेदन।	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन का विचारण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य। (आरक्षी केंद्र केसला, रामपुर गुरा, पथरोटा से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण को छोड़कर) 04. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र एवं अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण। 05. तहसील इटारसी अंतर्गत स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के प्रकरणों से उद्भूत बेम्यादी वारंटों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण एवं महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध (जिसका क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को न दिया गया हो) उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारंटों से संबंधित प्रकरण। 06. माननीय उच्च न्यायालय के
------------	--	---	---

			निर्देशानुसार महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के रूप में इटारसी तहसील के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध घटित समस्त अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-144, 146, 144-3 के समस्त आवेदन एवं उनके निष्पादन संबंधी प्रकरण (धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर) का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य। 07. आरक्षी केंद्र इटारसी, तवानगर, जी. आर.पी. से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम तथा अन्य आपराधिक प्रकरणों (महिलाओं से संबंधित अपराध को छोड़कर) में धारा 183 भा.ना. सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथनों का लेखबद्ध किया जाना।
10.	श्री यतिन अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी	01. आरक्षी केंद्र तवानगर, जीआरपी से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। 02. तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण।	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन (महिलाओं के विरुद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर) एवं आरक्षी आरक्षी केंद्र तवानगर, जीआरपी से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु

		(प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण को छोड़कर) 04. तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 05. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र एवं अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण। (महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के प्रकरणों को छोड़कर) 06. तहसील इटारसी स्थित आरक्षी केंद्र जिसका क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को नहीं दिया गया हो से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारंटों से संबंधित प्रकरणों (महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण। 07. तहसील इटारसी क्षेत्र से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के अपील न्यायालय से आने वाले समस्त आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण। 08. तहसील इटारसी क्षेत्र से संबंधित धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के रिक्त न्यायालयों के स्थायी वारंट से संबंधित प्रकरण। 09. आरक्षी केंद्र रामपुर गुरा, केसला, पथरोटा से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम तथा अन्य आपराधिक प्रकरणों (महिलाओं से संबंधित अपराध को छोड़कर) में धारा 183 भा.ना. सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथनों का लेखबद्ध किया जाना।
--	--	---

			10. तहसील इटारसी स्थित अन्य आरक्षी केंद्र क्षेत्रों (जिसका क्षेत्राधिकार तहसील इटारसी स्थित, किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं दिया गया है) के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध करना।
तहसील न्यायालय— सिवनीमालवा			
11.	सुश्री अंजली अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा	01. आरक्षी केंद्र सिवनीमालवा, आबकारी सिवनीमालवा वृत्त से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 02. सिवनी मालवा तहसील के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध घटित समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 294, 74, 75, 76, 77, 78, 63, 64, 65 (1), 66, 65 (2), 67, 68, 70(1), 70 (2), 71, 81, 84, 85, 80, 79 भारतीय न्याय संहिता, 2023) , घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-144, 146, 144-3 के समस्त प्रकार के आवेदन। 03. तहसील सिवनीमालवा स्थित	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, संक्षिप्त विचारणीय (समरी) प्रकरण, खात्मा प्रतिवेदन एवं आरक्षी केंद्र शिवपुर क्षेत्र से उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन अधिनियम, एन0 डी0पी0एस0(न्यूनमात्रा) एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 04. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के रूप में सिवनीमालवा तहसील के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध घटित समस्त अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-144, 146, 144-3 के

		समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर) 04. तहसील सिवनीमालवा अंतर्गत खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 एवं भा.वन अधि. म.प्र. वन उपज अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।	समस्त आवेदन एवं उनके निष्पादन संबंधी प्रकरण (धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर) का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य। 05. भा.वन अधि.म.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 06. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र एवं अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण। 07. तहसील सिवनीमालवा अंतर्गत स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के प्रकरणों से उद्भूत बेम्यादी वारंटों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण एवं महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध (जिसका क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को न दिया गया हो) उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारंटों से संबंधित प्रकरण। 08. तहसील सिवनी मालवा अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण। 09. तहसील सिवनीमालवा स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)। 10. आरक्षी केंद्र शिवपुर अंतर्गत उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण
--	--	--	--

			अधिनियम से संबंधित प्रकरण तथा अन्य आपराधिक प्रकरणों (<u>महिलाओं से संबंधित अपराध को छोड़कर</u>) में धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथनों का लेखबद्ध किया जाना। 11. तहसील सिवनीमालवा अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 एवं भा.वन अधि.म.प्र. वन उपज अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 12. तहसील सिवनीमालवा स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न ऐसे कार्यों का विचारण जिसके लिये किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत नहीं किया गया है।
12.	सुश्री सरोज डेहरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनीमालवा	01. आरक्षी केंद्र शिवपुर से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। 02. आरक्षी केंद्र शिवपुर एवं सिवनी मालवा से उत्पन्न धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण।	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. आरक्षी केंद्र सिवनी मालवा व शिवपुर के महिलाओं के विरुद्ध हुए मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध से संबंधित प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना। 04. आरक्षी केंद्र सिवनीमालवा अंतर्गत उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण तथा अन्य आपराधिक प्रकरणों में धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथनों का लेखबद्ध किया जाना। 05. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र एवं अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से

			उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण। (महिलाओं के विरुद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर एवं आरक्षी आरक्षी केंद्र शिवपुर से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण को छोड़कर) 06. तहसील सिवनीमालवा स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के अपील न्यायालय से आने वाले समस्त आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण। 07. तहसील सिवनीमालवा अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण। 08. तहसील सिवनीमालवा अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र से संबंधित धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के स्थायी वारंट एवं रिक्त न्यायालयों के स्थायी वारंट से संबंधित प्रकरण।
तहसील न्यायालय सोहागपुर			
13.	श्रीमती संगीता डावर मौर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहागपुर	01. ग्राम न्यायालय सोहागपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण।	01. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 02. ग्राम न्यायालय सोहागपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त प्रकरण।
14.	सुश्री अपेक्षा यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहागपुर	01. आरक्षी केंद्र सोहागपुर से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य

		02. तहसील-सोहागपुर स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध घटित समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 294, 74, 75, 76, 77, 78, 63, 64, 65 (1), 66, 65 (2), 67, 68, 70(1), 70 (2), 71, 81, 84, 85, 80, 79 भारतीय न्याय संहिता, 2023) , घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-144, 146, 144-3 के समस्त प्रकार के आवेदन। 03. तहसील सोहागपुर स्थित समस्त आरक्षी केंद्र के अंतर्गत आने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered	न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण, खात्मा प्रतिवेदन। 04. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के प्रकरण आरक्षी केंद्र सोहागपुर एवं कालम नं. 3 में वर्णित 22 गांव जो सोहागपुर न्यायालय के अधिकारिता में है से उत्पन्न समस्त प्रकरण। 05. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा पेश भरण पोषण के प्रकरण एवं इसी न्यायालय द्वारा भरण पोषण से संबंधित प्रकरण में पारित आदेशों के निष्पादन के संबंधित प्रकरण। 06. तहसील सोहागपुर स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के समस्त प्रकरण एवं पारित आदेश के निष्पादन संबंधी प्रकरण का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 07. तहसील सोहागपुर स्थित समस्त आरक्षी केंद्र के अंतर्गत आने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर) एवं भा. वन अधि.म.प्र. वन उपज
--	--	--	---

		by the special tiger strike force units को छोड़कर) 04. तहसील सोहागपुर अंतर्गत भा.वन अधि.म. प्र. वन उपज अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।	<u>अधिनियम प्रकरणों का विचारण।</u> 08. स्तम्भ क्रमांक 3 में वर्णित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन अधिनियम, एन0डी0पी0एस0 (न्यून मात्रा)एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 09. Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण। 10. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र एवं अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण। 11. तहसील सोहागपुर अंतर्गत स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के प्रकरणों से उद्भूत बेम्यादी वारंटों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण एवं महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध (जिसका क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को न दिया गया हो) उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारंटों से संबंधित प्रकरण। 12. तहसील सोहागपुर अंतर्गत भा.वन अधि.म.प्र. वन उपज अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 13. तहसील सोहागपुर स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न ऐसे कार्यों का विचारण जिसके लिये किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत नहीं किया गया है।
--	--	--	--

15.	श्री तेजदीप सिंह सासन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहागपुर	01. आरक्षी केन्द्र सोहागपुर से उत्पन्न धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण का विचारण 02. आबकारी वृत्त सोहागपुर एवं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 03. आरक्षी केन्द्र सोहागपुर से उत्पन्न परिवाद पत्र।	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. तहसील सोहागपुर क्षेत्र से संबंधित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण एवं स्थायी वारंट। 04. स्तम्भ क्रमांक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से संबंधित आबकारी वृत्त सोहागपुर एवं खान-खनिज द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकार के प्रकरण। 05. तहसील सोहागपुर क्षेत्र से संबंधित धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के रिक्त न्यायालयों के स्थायी वारंट से संबंधित प्रकरण। 06. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र एवं अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण। 07. तहसील सोहागपुर स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के अपील न्यायालय से आने वाले समस्त आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण। 08. आरक्षी केंद्र सोहागपुर के महिलाओं के विरुद्ध हुए मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध से संबंधित प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना। 09. आरक्षी केंद्र सोहागपुर अंतर्गत उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण तथा अन्य आपराधिक प्रकरणों में धारा 183 भा.ना.सु.
-----	--	---	--

			स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथनों का लेखबद्ध किया जाना। 10. आरक्षी केंद्र सोहागपुर से उत्पन्न परिवाद पत्र।
तहसील न्यायालय पिपरिया			
16.	श्री मनीष कुमार पारिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया	1. आरक्षी केंद्र मंगलवारा, पचमढी, श्रंखला न्यायालय पचमढी एवं छावनी क्षेत्र अधिनियम एवं विशेष प्राधिकरण क्षेत्र पचमढी से संबंधित प्रकरण। 2. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र के खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 एवं भा.वन अधि.म.प्र. वन उपज अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 3. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र एवं पचमढी के अंतर्गत आने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण (महिलाओं से संबंधित अपराधों को छोड़कर) परिवाद, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), खात्मा प्रतिवेदन। 04. छावनी परिषद पचमढी एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 05. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र के खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के प्रकरण, भारतीय वन अधिनियम, म.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम संबंधित प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 06. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र, पचमढी एवं वन परिक्षेत्र पिपरिया में उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन अधिनियम, एन0डी0 पी0एस0 (न्यून मात्रा) एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की

		<u>offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)</u>	विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 07. कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के <u>(महिलाओं से संबंधित अपराध को छोड़कर)</u> बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों (समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न धारा- 138 परकाम्य लिखत अधिनियमों के प्रकरण को छोड़कर) का निराकरण। 08. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण। 09. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र एवं पचमढी के अंतर्गत आने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर) 10. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न ऐसे कार्यों का विचारण जिसके लिये किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत नहीं किया गया है।
17.	श्री अखिलेश चाण्डक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया	01. आरक्षी केंद्र स्टेशन रोड पिपरिया से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 02. आबकारी वृत्त पिपरिया से संबंधित प्रकरण।	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे।

		03. जी.आर.पी.चौकी पिपरिया से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 04. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण।	03. स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण परिवाद, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), खात्मा प्रतिवेदन। <u>(महिलाओं के विरुद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर एवं स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण को छोड़कर)</u> 04. कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के <u>(महिलाओं से संबंधित अपराध को छोड़कर) बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।</u> 05. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण। 06. तहसील पिपरिया अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र से संबंधित धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के स्थायी वारंट एवं रिक्त न्यायालयों के स्थायी वारंट से संबंधित प्रकरण।
18.	सुश्री निशा रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया	01. तहसील-पिपरिया एवं बनखेड़ी के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध गठित समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 294, 74, 75, 76, 77, 78, 63, 64, 65 (1), 66, 65 (2), 67, 68, 70(1), 70 (2), 71, 81, 84, 85,	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित आपराधिक प्रकरण का विचारण एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महिलाओं के विरुद्ध किये

		80, 79 भारतीय न्याय संहिता, 2023) , घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-144, 146, 144-3 के समस्त प्रकार के आवेदन।	गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के रूप में पिपरिया तहसील एवं बनखेड़ी के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध घटित समस्त अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-144, 146, 144-3 के समस्त आवेदन एवं उनके निष्पादन संबंधी प्रकरण <u>(धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)</u> का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य। 04. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी अंतर्गत स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के प्रकरणों से उद्भूत बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण एवं महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध (जिसका क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को न दिया गया हो) उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरण। 05. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण तथा अन्य आपराधिक प्रकरणों में <u>(महिलाओं से संबंधित अपराध को छोड़कर)</u> धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथनों का लेखबद्ध किया जाना।
19.	श्रीमती दिशा चाण्डक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया	01. आरक्षी केंद्र बनखेड़ी से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित आपराधिक प्रकरण का विचारण एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे।

		03. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण, निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन तथा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विचारणीय प्रकरणों से संबंधित विविध कार्यवाहियों। <u>(महिलाओं के विरुद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर एवं स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण को छोड़कर)</u> 04. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के अपील न्यायालय से आने वाले समस्त आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण। 05. कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के <u>(महिलाओं से संबंधित अपराध को छोड़कर) बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों (समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न धारा- 138 परकाम्य लिखत अधिनियमों के प्रकरण को छोड़कर)</u> का निराकरण। 06. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित प्रकरणों के धारा-183 भा.ना. सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना
--	--	--

आपराधिक कार्य प्रभार सूची – “अ”

प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से कार्य विभाजन पत्रक प्रभावशील दिनांक 2026 से जिला मुख्यालय नर्मदापुरम एवं तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/अनुपस्थिति/रिक्त न्यायालय रहने की दशा में उनके न्यायालय के आवश्यक कार्य एवं धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के अंतर्गत लेखबद्ध किये जाने वाले कथन का उनके सम्मुख दर्शाए गए उपस्थित मजिस्ट्रेट द्वारा (धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के अधीन (2) **जहां कथन अभियोक्त्री का है, वहां वह धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) की उप-धारा (6-क)** के अंतर्गत महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जा सकेगा) अभिलिखित किया जाएगा। घटते अनुक्रम में नामांकित मजिस्ट्रेट आवश्यक प्रभार देखेंगे—

मुख्यालय – न्यायालय नर्मदापुरम

क्रमांक	न्यायालय का नाम	न्यायालय जो आवश्यक कार्य घटते अनुक्रम में उपलब्धता के आधार पर करेंगे
1.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम श्री फिरोज अख्तर	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम सुश्री के. शिवानी 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम श्रीमती दिव्या मित्तल 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम श्रीमती मधुबाला सोलंकी 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम श्री दीपक कनेरिया 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम सुश्री स्वाति कौशल 6. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम सुश्री श्रीति अतुलकर
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम सुश्री के. शिवानी	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम श्रीमती दिव्या मित्तल 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम श्रीमती मधुबाला सोलंकी 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम श्री दीपक कनेरिया 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम सुश्री श्रीति अतुलकर 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम सुश्री स्वाति कौशल 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम श्री फिरोज अख्तर

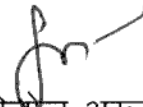
[illegible]

		4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम श्री दीपक कनेरिया 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम सुश्री श्रीति अतुलकर 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम श्री फिरोज अख्तर
7.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम सुश्री श्रीति अतुलकर	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम श्री दीपक कनेरिया 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम श्रीमती मधुबाला सोलंकी 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम सुश्री स्वाति कौशल 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम सुश्री के. शिवानी 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम श्रीमती दिव्या मित्तल 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम श्री फिरोज अख्तर
तहसील न्यायालय इटारसी		
8.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी श्रीमती आयुषी गुप्ता	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी श्रीमती प्राची कौरव 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी श्री यतिन अग्रवाल 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम श्री दीपक कनेरिया 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम श्रीमती मधुबाला सोलंकी 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम सुश्री स्वाति कौशल 6. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम सुश्री के. शिवानी 7. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम श्रीमती दिव्या मित्तल 8. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम सुश्री श्रीति अतुलकर 9. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम श्री फिरोज अख्तर
9.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी श्रीमती प्राची कौरव	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी श्री यतिन अग्रवाल 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी श्रीमती आयुषी गुप्ता

		3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम श्री दीपक कनेरिया 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम श्रीमती मधुबाला सोलंकी 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम सुश्री स्वाति कौशल 6. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम सुश्री के. शिवानी 7. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम श्रीमती दिव्या मित्तल 8. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम सुश्री श्रीति अतुलकर 9. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम श्री फिरोज अख्तर
10.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी श्री यतिन अग्रवाल	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी श्रीमती आयुषी गुप्ता 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी श्रीमती प्राची कौरव 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम श्री दीपक कनेरिया 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम श्रीमती मधुबाला सोलंकी 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम सुश्री स्वाति कौशल 6. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम सुश्री के. शिवानी 7. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम श्रीमती दिव्या मित्तल 8. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम सुश्री श्रीति अतुलकर 9. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम श्री फिरोज अख्तर
तहसील न्यायालय पिपरिया		
11.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया श्री मनीष कुमार पारिक	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया श्री अखिलेश चाण्डक 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया सुश्री निशा रघुवंशी 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया श्रीमती दिशा चाण्डक 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर श्रीमती संगीता डावर मौर्य 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर

[illegible]

तहसील न्यायालय सिवनी मालवा		
18.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनी मालवा सुश्री अंजली अग्रवाल	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा श्रीमती सरोज डेहरिया 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी श्रीमती आयुषी गुप्ता 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी श्रीमती प्राची कौरव 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी श्री यतिन अग्रवाल
19.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनी मालवा सुश्री सरोज डेहरिया	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा सुश्री अंजली अग्रवाल 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी श्रीमती आयुषी गुप्ता 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी श्रीमती प्राची कौरव 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी श्री यतिन अग्रवाल


 फिरोज अख्तर
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 नर्मदापुरम म.प्र.

आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2026

कमांक /

/ स्टेनो / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक :- / 05 / 2026

मैं **फिरोज अख्तर**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों, के मध्य उचित रूप से कार्य, वितरण एवं संपादन हेतु पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन आदेश (समस्त मूल एवं संशोधित सहित) को अतिष्ठित करते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 12 एवं 13 (द.प्र.सं. की धारा- 14 (1) एवं 15 (2)) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम के अनुमोदन उपरांत, उक्त आदेश के अंत में निम्न पैरा संस्थित करता हूँ, जो कि दिनांक / 05 / 2026 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

अनुसूची (ब)

धारा 52-क सहपठित धारा 76 केन्द्र स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ के अंतर्गत नमूना लिये जाने हेतु प्रभार चार्ज :-

	कॉलम नंबर-1	कॉलम नंबर-2	कॉलम नंबर-3	कॉलम नंबर-4	कॉलम नंबर-5	कॉलम नंबर- 6	कॉलम नंबर-7	कॉलम नंबर-8
क.	थाने का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी	पंचम प्रभारी	षष्ठम प्रभारी	सप्तम प्रभारी
1.	1. आरक्षी केंद्र देहात नर्मदापुरम 2. आरक्षी केंद्र कोतवाली नर्मदापुरम 3. आरक्षी केंद्र जी. आर.पी. नर्मदापुरम 4. आरक्षी केंद्र याता यात नर्मदापुरम 5.आबकारी वृत्त 'अ' एवं 'ब' 6. आरक्षी	सुश्री के. शिवानी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	श्री दीपक कनेरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट , प्रथम श्रेणी नर्मदापुर म	श्रीमती दिव्या मित्तल न्यायिक मजिस्ट्रेट , प्रथम श्रेणी नर्मदापुर म	सुश्री मधुबाला सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	सुश्री श्रीति अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	सुश्री स्वाति कौशल न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	श्री फिरोज अख्तर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम

	केंद्र डोलरिया 7. आरक्षी केंद्र माखन नगर 8. महिला आरक्षी केंद्र नर्मदापुरम							
2.	1. आरक्षी केंद्र इटारसी 2. आरक्षी केंद्र केसला 3. आरक्षी केंद्र रामपुर गुरा 4. आरक्षी केंद्र जी. आर.पी. इटारसी 5. आरक्षी केंद्र तवानगर 6. आरक्षी केंद्र पथरोटा 7. आरक्षी केंद्र आबकारी वृत्त इटारसी	श्रीमती आयुषी गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	श्रीमती प्राची कौरव न्यायिक मजिस्ट्रेट , प्रथम श्रेणी इटारसी	श्री यतिन अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट , प्रथम श्रेणी इटारसी	श्री दीपक कनेरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	सुश्री के. शिवानी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	श्रीमती दिव्या मित्तल न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	सुश्री मधुबाला सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम
3.	1. आरक्षी केंद्र सिवनी मालवा 2. आरक्षी केंद्र शिवपुर	सुश्री अंजली अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी	श्रीमती सरोज डेहरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट , प्रथम श्रेणी	श्री यतिन अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट , प्रथम श्रेणी	श्रीमती आयुषी गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	श्रीमती प्राची कौरव न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी		

	3. आरक्षी केंद्र आबकारी वृत्त सिवनी मालवा	सिवनी मालवा	सिवनी मालवा	इटारसी				
4.	1. आरक्षी केंद्र स्टेशन रोड पिपरिया 2. आरक्षी केंद्र मंगलवारा पिपरिया 3. आरक्षी केंद्र पचमढी 4. आरक्षी केंद्र जी. आर.पी. पिपरिया 5. आरक्षी केंद्र बनखेड़ी 6. आरक्षी केंद्र आबकारी वृत्त पिपरिया	श्री अखिलेश चाण्डक न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	सुश्री निशा रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	श्रीमती दिशा चाण्डक न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	श्री मनीष कुमार पारिक न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	श्री तेजदीप सिंह सासन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर	सुश्री अपेक्षा यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर	श्रीमती संगीता डावर मौर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर
5.	1. आरक्षी केंद्र सोहागपुर 2. आरक्षी केंद्र आबकारी वृत्त सोहागपुर	श्री तेजदीप सिंह सासन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर	सुश्री अपेक्षा यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर	श्रीमती संगीता डावर मौर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर	श्री अखिलेश चाण्डक न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	सुश्री निशा रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	श्रीमती दिशा चाण्डक न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	श्री मनीष कुमार पारिक न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया

नोट:-

1. इस सूची के अतिरिक्त अन्य किसी स्थिति में यदि आवेदन प्रस्तुत किया जाता है अथवा किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में यह भ्रम उत्पन्न होता है तो ऐसी मामले उचित आदेश हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जायेंगे।
2. संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थिति की दशा में कमर्शियल एवं इनटरमेडियेट मात्रा का नमूना धारा 52-क सहपठित धारा 76 के अंतर्गत कार्यवाही स्वयं के न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। स्वयं के न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले एन.डी.पी.एस. के प्रकरणों को छोड़कर।

आवश्यक निर्देश:-

01. प्रथमतः कार्यविभाजन पत्रक के अंतर्गत उल्लेखित कॉलम नम्बर 4 के अधिकृत मजिस्ट्रेट धारा-183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध करेंगे। धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लिपिबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में उक्तानुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट आपराधिक कार्य प्रभार सूची "अ" अनुसार धारा-183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध करेंगे, परन्तु ऐसे मजिस्ट्रेट जिनके अधिकार क्षेत्र का मामला होने के आधार पर उन्हें जिन मामलों में विचारण किया जाना है, तो सूची "अ" अनुसार उपलब्ध घटते वरीयता क्रम में अन्य प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किये जायेंगे।
02. आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य पुलिस रिमांड अथवा न्यायिक रिमाण्ड कार्य धारा-478, 479, 480 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 436 एवं 437 दं.प्र.सं.) के तहत जमानत आवेदन पत्र एवं धारा- 497, 503 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 451, 457 दं.प्र.सं.) के अंतर्गत सुपुर्दगी आवेदन पत्र, हाजिरी माफी आवेदन का निराकरण, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना एवं अतिआवश्यक साक्षी जो अत्यधिक दूरी से उपस्थित हुआ हो तथा उसका पुनः सरलता से उपस्थित होना सम्भव न हो तो उसका परीक्षण करना आदि है। आवश्यक कार्य के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया द्वारा निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होंगे, जिनमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करता है, तो जो मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) पावर से सशक्त हैं वह ऐसे संक्षिप्त विचारणीय प्रकरणों (समरी) का निराकरण कर सकेंगे तथा ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होंगे।
03. इस कार्य विभाजन आदेश से किसी भी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
04. संक्षिप्त विचारण का रिकॉर्ड तैयार करने के लिये भा.ना.सु.स. 2023 की धारा 288 (2) (दं.प्र.सं. की धारा 265(2)) के उपबंधानुसार जिले में पदस्थ प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट के निष्पादन लिपिक को नियुक्त किया जाता है।
05. जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार अपने-अपने दैनिक कार्य को प्रभावित किये बिना, अपने-अपने क्षेत्राधिकार

- में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व लिखित सूचना देकर माह में दो बार चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
06. उक्त कार्यविभाजन पत्रक अनुसार यदि किसी मामले के विचारण के संबंध में कोई व्यवस्था न हो तो इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नर्मदापुरम से तत्काल संपर्क करेंगे।
 07. समस्त ई-चालान का निराकरण आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।
 08. समस्त न्यायालय जिनके पीठासीन वर्तमान में पदस्थ हैं, उनके द्वारा प्रकरणों में जारी स्थाई वारंट, बेम्यादी वारंट से संबंधित प्रकरणों का निराकरण स्वयं उनके न्यायालय द्वारा किया जावेगा।
 09. प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के अवकाश पर रहने के दौरान किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा तथा उनके अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर उपस्थित वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा।
 10. **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित सभी मामले किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति द्वारा निराकृत किये जायेंगे।
 11. इस आदेश के निर्वहन में किसी प्रकार भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे।
 12. नर्मदापुरम नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय की व्यवस्था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार संपादित की जावेगी।
 13. जिला मुख्यालय पर रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
 14. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।
 15. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी एवं मुद्देमाल भी रिकॉर्ड के साथ भेजना सुनिश्चित किया जावे।
 16. विचाराधीन बण्डल फाईल (रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबंधित आरक्षी केंद्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जेएमएफसी के न्यायालय में भेजे जावे।
 17. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मेमोरेण्डम क्रमांक-1295/सीजे-11/890 जबलपुर दिनांक 18.11.2013 के पालन में चालान प्रस्तुत किये जाते समय मुद्देमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
 18. प्रकरण को धारा- 364 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 325 दं.प्र.स.) के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने के साथ ही जप्तशुदा संपत्ति भी आवश्यक रूप से भेजी जावे।

19. ग्राम न्यायालयों के न्यायाधिकारी के अवकाश या उपलब्ध नहीं होने की दशा में ग्राम न्यायालय का आवश्यक कार्य आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में दर्शाये गये प्रभार सूची अनुसार प्रभारी न्यायिक अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा।

अनुमोदनार्थ हेतु सादर प्रेषित।

13/5/26
फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

अनुमोदित
सहचर
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)

कार्यालय/न्यायालय :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नर्मदापुरम (म.प्र.)
पीठासीन अधिकारी-फिरोज अख्तर

क्रमांक // पृ.क्र. / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक 13.05.2026

प्रतिलिपि:-

01. माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एस.सी./एस.टी. एक्ट/एन.डी.पी.एस. एक्ट नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. पुलिस अधीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. जिला अभियोजन अधिकारी/ए.पी.पी नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारी जिला एवं तहसील की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08. खाद्य निरीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
09. नापतौल निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. औषधि निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. जिला लोक अभियोजक अधिकारी नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. जिला आबकारी अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. जिला परिवहन अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. अध्यक्ष अभिभाषक संघ नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम

न्यायालय :- फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नर्मदापुरम,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / ०३ / स्टेनो / 2026

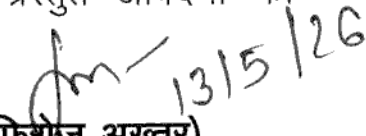
नर्मदापुरम, दिनांक-13 / 05 / 2025

॥ विविध-आदेश ॥

मैं, फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, प्रदत्त प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नर्मदापुरम के अनुमोदन उपरांत, ऐसी विधि जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा आवेदन को सत्यापन एवं प्रमाणन करने के प्रावधान वर्णित है, के अंतर्गत नर्मदापुरम एवं तहसील न्यायालय में पदस्थ निम्नानुसार नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को प्रस्तुत आवेदनों का सत्यापन तथा प्रमाणन करने हेतु अधिकृत करता हूँ-

क्रमांक	जिला मुख्यालय नर्मदापुरम/तहसील	न्यायिक मजिस्ट्रेट
1.	नर्मदापुरम	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम सुश्री के. शिवानी
2.	इटारसी	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इटारसी श्रीमती आयुषी गुप्ता
3.	सिवनी मालवा	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी मालवा सुश्री अंजली अग्रवाल
4.	पिपरिया	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया श्री मनीष कुमार पारिक
5.	सोहागपुर	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोहागपुर श्री तेजदीप सिंह सासन

नोट-अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में प्रभारी मजिस्ट्रेट आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2025 के आपराधिक कार्य प्रभार सूची "अ" अनुसार उपलब्ध घटते वरीयता क्रम में प्रस्तुत आवेदनों का सत्यापन तथा प्रमाणन का कार्य संपादित करेंगे।


(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम, म.प्र.

प्रतिलिपि:-

01. सुश्री के. शिवानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम, श्रीमती आयुषी गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी, सुश्री अंजली अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा, श्री मनीष कुमार पारिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया, श्री तेजदीप सिंह सासन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहागपुर की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित।

02. अभिभाषक संघ, सचिव/अध्यक्ष नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमोदनार्थ हेतु सादर प्रेषित।

अनुमोदित

13/5/24

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश

जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)

13/5/26

(फिरोज अख्तर)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश